जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
156/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 156/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

19—12—2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:—

> आपके पत्रांक 1654 दिनांक 28.08.2015 से संबंधित सूचनांए—मौखिक रूप से अवलोकन हेतू:—
>
> 1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 20/2/2014 पर आप द्वारा अवलोकन हेतू पत्र दिनांक 28/8/2015 को लिखा जा रहा है। 18 माह 8 दिन बाद, यह सूचना के अधिकार अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत इतने विलम्ब से लिखा गया है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. प्रार्थी का पत्रांक दिनांकित 20—2—2014, 18 माह 8 दिन तक जिस कर्मकार के पास रहा, इस पर जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 3. अवलोकन करवाने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
> 4. मौखिक रूप से जिस नियम के अन्तर्गत अवलोकन हेतू जिस समय व स्थान पर जिस अधिकारी के आदेश से जिस कर्मकार द्वारा प्रार्थी को कहा गया उसका नाम व पद की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 5. अवलोकन हेतू पत्रांक 1640 दिनांक 26.08.15 जिस कर्मकार द्वारा जिस दिवस व समय पर व जिस स्थान पर जिसके समक्ष प्रार्थी को सुपुर्द किया व प्रार्थी द्वारा मना किया गया। इस बाबत कर्मकार का शपथ पत्र व सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि व पत्रवाहक का नाम व पद की सूचना।
> 6. अवलोकन हेतु प्रार्थी जिस समय कार्यस्थल पर नही मिला उस कार्य स्थल का नाम व जिससे प्रार्थी के कार्य स्थल के बार में पूछताछ की उसके नाम की सूचना।
> 7. दूरभाष पर जिस कर्मकार द्वारा अवलोकन हेतू सूचित किया उस कर्मकार का नाम व पद की सूचना व उस दिनांक व समय की सूचना व नियम की सूचना कि अवलोकन हेतू प्रार्थी को बुलाया जा सकता है। इस बाबत नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 8. पत्रांक 1654 दिनांक 28.08.2015 जिस दिवस पोस्ट ऑफिस में पंजीकृत करवाया गया उस दिवस की सूचना मय प्राप्त होने की तारीख व पावती की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 9. आपका पत्रांक 1640 दिनांक 26.08.2015 जिस दिवस डाकखाने में पंजिकृत करवाया गया उस दिवस की सूचना मय पावती की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 156/2015

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 1873 दि0 02.11.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1789 दिनांक 28.09.15 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1789 दि0 28.09.15 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

> चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्युतर निम्नानुसार है:–
> बिन्दु सं0 1 से 9 के तक की सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु सं0 1 से 9 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 9 बिन्दूओ की सूचनांए कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 28.09.2015 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर